



AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY
REWA, MADHYA PRADESH



3.1.1. The institution Research facilities are frequently updated and there is well defined policy for promotion of research which is uploaded on the institutional website and implemented

**Board of Management related to Research Promotion Policy and its
Adoption, Plagiarisms Prevention Regulation**


Registrar
A.P.S University
Rewa (M.P.)

दिनांक 21.2.2019

DATE PAGE 1

अविश्वना समोप/शोध संका/2018/अनुदिनांक 31.02.2019
इतः गणित समिति डी नैक आज दिनांक 21.2.2019 को शोध
संचालक गण मे आगे जित ही गयी है जिसमे निम्नलिखित संका
आखिरी निम्नानुसार है।

1- प्रो० आर० एन० मिश्र संकायक, 21/2/19
विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान

2. प्रो० जे० पी० सिंह - 21-02-19
आचार्य गणित विभाग

3 प्रो० एन० पी० पाठक
आचार्य व्यावहारिक विज्ञान विभाग

4. प्रो० (डी० एम०) अंजली डी० वास्तव
विभागाध्यक्ष मनो विज्ञान 21.02.19

5. प्रो० सुनील बिजारी
आचार्य व्याख्याता लॉग लॉनिंग 21-2-19

6. प्रो० आर० एन० सिंह
संचालक शोध संचा 21/2/19

7. डा० पी० के० राय
उप संचा शोध संचा

8. प्रो० महेश चन्द्र डी० वास्तव
विभागाध्यक्ष ता० भा० इतिहास
संरि संस्कृति सं पुरातत्व विभाग

दिनांक 21.02.2019 को प्री. पी.एच-डी. प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

1. मूल्यांकन के विषय में विचार करना।

निर्णय लिया गया कि गोपनीय विभाग के माध्यम से 10 दिवस में मूल्यांकन का कार्य पूर्ण किया जाय।

2. साक्षात्कार के सम्बन्ध में विचार करना-

25, मार्च 2019 से 31, मार्च 2019 के बीच में साक्षात्कार की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में सम्पन्न करायी जाय।

3. प्री. पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा की तिथि को बदलने के सम्बन्ध में विचार करना-

निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित किया जाए क्योंकि विज्ञापन के साथ यह सूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है और दूर के छात्रों का रिजर्वेशन भी हो गया होगा। अतः प्रवेश परीक्षा दिनांक 03 मार्च, 2019 को यथावत रखा जाए।

अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

[Signature]
21/2/19

[Signature]
21/2/19

[Signature]
21-02-19

[Signature]
29/2/19

[Signature]
21-2-19

[Signature]
21-2-19

बैंक रोजी 12/4/2019

DATE
PAGE

अधिकारना प्रमाण/रोज संज्ञा/2018 दिनांक 31.07.2018 द्वारा
प्रमाण सीमाती श्री बैंक आज दिनांक 12-4-2019 के रोज संज्ञा/नाका
में अंकित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/उपस्थित निम्नानुसार
हैं

1. प्रो० आर० रमेश मिश्र
विभागाध्यक्ष पर्यावरण और विज्ञान विभाग

Wishu

2. प्रो० जे० पी० सिंह
आचार्य गीत विभाग

J.P.

3. प्रो० रमेश पी० फटक
आचार्य विभा० अर्थशास्त्र

Ramesh

4. प्रो० (श्रीमती) अंजली ठीवास्त्र
विभागाध्यक्ष मनो विज्ञान विभाग

Anjali

5. प्रो० सुनील तिवारी
आचार्य लाइफ लांग लिविंग

Sunil

6. प्रो० आर० रमेश सिंह
संचालक शोध संचा०

Arjun

7. प्रो० पी० डे राम
उप संचा०

P.D.

8. प्रो० तलेश चंद्र सिंह श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष प्राचीन भारत इति०
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

Talash

प्रवेश समिति द्वारा पी.पी.एच.के.एस. साक्षात्कार की विधि में
निर्धारित की गयी जिसका विवरण अंकित सं. चस्था है।

1

3

DIRECTORATE-RESEARCH
AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY, RA
DET- 2018 : INTERVIEW SCHEDULE

No.	Date	Time	Subject	Roll No.(s)
	25-04-2019	11 AM	ENV. BIOLOGY	18175001 - 18175022
	25-04-2019	11 AM	AHIC & A	18064001 - 18064037 18273092
	25-04-2019	11 AM	BUSINESS ECO.	18065001 - 18065008
	25-04-2019	11AM 02PM	COMMERCE	18241001 - 18241058 18241061 - 18241108
	26-04-2019	11AM 02PM		18241110 - 18241185 18241188 - 18241299
	25-04-2019	11 AM 02PM	MATHS	18077010 - 18077069 18077070- 18077135
	26-04-2019	11 AM	PHYSICS	18017005 - 18017121
	26-04-2019	11 AM	BIOTECHNOLOGY	18242012 - 18242064
	26-04-2019	2:30PM	COMPUTER SCIENCE	18007001 - 18007102
	26-04-2019	11AM	AYURVED- (All Branches) SHALYA KAUMARYA SHARIR SAMHITA KAYA	18245002 - 18245012 18248009 18253001 - 18253020 18254001 - 18254035 18285004 - 18285029
	09-05-2019	11 AM 02PM	CHEMISTRY	18014001 - 18014049 18014051 - 18014103
	10-05-2019	11AM 02PM		18014105 - 18014176 18014177 - 18014241
	09-05-2019	11 AM 02PM	BOTANY	18238002 - 18238045 18238047 - 18238093
	10-05-2019	11AM 02PM		18238094 -18238144 18238146-18238166 18277171-18277172
	09-05-2019	11 AM 02PM	ECONOMICS	18270001-18270038 18270039-18270080 18270081-18270123 18270124-18270160
	10-05-2019	11AM 02PM		
	09-05-2019	11AM 02PM	EDUCATION	18240003-18240158 18240162-18240278





09-05-2019	11 AM 02PM	ENGLISH	18069002-18069047 18069048-18069094	DEPTT. OF ENGLISH
10-05-2019	11 AM 02PM		18069095-18069137 18069138-18069195	
10-05-2019	11 AM	PHYSICAL EDUCATION	18243001-18243038	DEPT. OF PHYSICAL EDUCATION
10-05-2019	11 AM	GEOLOGY	18275002-18275026	DEPTT. OF PHYSICS
26-04-2019	02 PM	HOME SCIENCE	18276004 - 18276053	DEPTT. OF PHYSICS
15-05-2019	11 AM 02PM	SOCIOLOGY	18271001-18271068 18271069-18271135	MSW (ANTARBHARTI)
16-05-2019	11 AM 02PM		18271137-18271191 18271195-18271259	
15-05-2019	11 AM 02PM	ZOOLOGY	18175018-18277039 18277040-18277082	DEPTT. OF ENV BIOLOGY
16-05-2019	11 AM 02PM		18277084-18277122 18277127-18277170	
15-05-2019	11 AM 02PM	HINDI	18071001-18071047 18071048-18071099	DEPTT. OF HINDI
16-05-2019	11 AM 02PM		18071101-18071151 18071152-18071205	
17-05-2019	11 AM 02PM		18071207-18071258 18071260-18071314	
18-05-2019	11 AM 02PM		18071315-18071373 18071377-18071438	
17-05-2019	11 AM	POLITICAL SCIENCE	18272001-18272090	DEPTT. OF BUSINESS ECO (MANVIKI BHAVAN)
17-05-2019	02 PM	GEOGRAPHY	18274002-18274039	DEPTT. OF BUSINESS ECO (MANVIKI BHAVAN)
18-05-2019	11 AM 02PM		18274040-18274118 18274119-18274188	
25-05-2019	11 AM	BUSINESS ADMINISTRATION/MANA GEMENT (MBA)	18073001-18284031	MBA BUILDING
25-05-2019	11 AM	PSYCHOLOGY	18068003 - 18068004	DEPTT. OF PSYCHOLOGY
25-05-2019	02 PM	PHILOSOPHY	18267001-18267005	DEPTT. OF PHILOSOPHY
25-05-2019	11 AM	SANSKRIT	18239001-18239047	DEPTT. OF PHILOSOPHY
25-05-2019	02 PM	MUSIC	18268001-18268025	Directorate-Research Library Building
25-05-2019	11 AM 02PM	HISTORY	18273001-18273053 18273054-18273124	DEPTT. OF AIHC & A MANVIKI BHAVAN



प्रवेश समिति डी.वै.के. दिनांक 23-04-2019

DATE
PAGE

(4)

सी.पी.एच.डी प्रवेश समिति डी.वै.के. दिनांक 23-4-2019
के आयोजित डी. गरी, जिसमें निर्णय लिया गया कि लोकसभा
निर्वाचन 2019 में RA-C डेमेरी के सदस्य व्यस्त है इस कारण,
सी.पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा डी. साक्षात्कार दिनांक 25-4-2019 एवं
26-4-2019 को स्थगित किया जाता है/स्थगित साक्षात्कार तिथियों
का निर्धारण किया गया।

M. K. D. Ch.
23/4/19 23/4/19

[Signature]
23.4.19

[Signature]

23/04/2019

[Signature]
23.4.19

[Signature]
23/04/19

प्रवेश समिति का बैठक दिनांक 08/06/2019

आधि सूचना क्रमक/शोध संघ/2018/दिनांक 21.07.2018
द्वारा गठित समिति का बैठक आज दिनांक-08/06/2019 को
शोध संचालनालय में अपराह्न 4.00 बजे आयोजित की
गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही -

1. प्रो. आर. एम. मिश्रा संयोजक
विभागाध्यक्ष पर्या. जीव विज्ञान
2. प्रो. जे. पी. सिंह सदस्य
आचार्य, गणित विभाग
3. प्रो. एन. पी. पाठक सदस्य
आचार्य, व्या. अर्थशास्त्र
4. प्रो. (सौमिनी) अंजलि श्रीवास्तव सदस्य
विभागाध्यक्ष, मत्स्य विज्ञान विभाग
5. प्रो. सुनील तिगरी सदस्य
आचार्य, लाइफ लांग लर्निंग विभाग
6. प्रो. आर. एम. सिंह सदस्य
संचालक, शोध संघ
7. प्रो. पी. के. राय सदस्य (आमंत्रित)
सूचक संचालक,
शोध संघ.

प्रवेश समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये -

1- RAC द्वारा तैयार किये गये विषयवार मेरिट सूची से DET-2018 विज्ञापन में उल्लेखित सीट संख्या के आधार पर कोर्सवर्क में प्रवेश के लिये अंतिम सूची मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है। इस अंतिम सूची के ऐसे शोध आवेदक जिनके पास सुपरवाइजर की सहमति नहीं प्राप्त है उनसे निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त कर ही कोर्सवर्क में प्रवेश दिये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. प्रत्येक विषय के मेरिट सूची के बाद प्रतीक्षा सूची में विषयवार सभी शोध निर्देशकों के कुल उपलब्ध सीट संख्या का 25 प्रतिशत संख्या रखा जाय। प्रतीक्षा सूची के आवेदकों से कोर्सवर्क हेतु निर्धारित शपथ पत्र लेकर उन्हें कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु अनुशांसा की जाती है।
3. अंतिम सूची प्रकाशन के लिये प्रपत्र का प्रारूप मान्य किया जाता है।

Sr. No.	Roll No.	Name	Merit Marks	Name of Supervisor	Research Centre	Remark

अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

[Signature]

[Signature]
03/06/19

[Signature]
03/06/19

[Signature]
03/06/19

[Signature]
8.6.19.

[Signature]
8.6.19

समिति की बैठक दिनांक 29/06/2019

आदिशूचना क्रमांक/सोसांसा/2019/दिनांक 28/6/2019 द्वारा
समिति की बैठक आज दिनांक 29/06/2019 को
शोध संचालनालय में 5 बजे 30 वजे आयोजित की
गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्न कुल रही-

1. प्रो. जे. पी. सिंह
संचालक, गणित विभाग

संयोजक - T.P. 29/6/19

2. प्रो. एन. एल. अग्रवाल
संचालक, भौतिकी विभाग

सदस्य 29/6/19

3. प्रो. अर. एन सिंह
संचालक, सर्वोप संचालनालय

सदस्य 29/6/19

विनियम क्रमांक- 50 में संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा
बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये -

समिति की बैठक आज दिनांक 29/6/19 को शोध संचालनालय
संचालनालय में आयोजित हुई। ~~निम्न निर्णय~~ समिति द्वारा
विनियम 50 (संशोधित) का प्राव्य तैयार किया गया।
अध्य. संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

29/6/19

29/6/19


T.P. 29/6/19


दिनांक - 01/07/2019

DET-2018 में सम्मिलित प्रतिभागी कुलजिन्दू पाण्डेय अकाउंट नं. 18239030 अखिल विषय के आवेदन के सन्दर्भ में अकाउंट एड्रेस प्रो. दिनेश कुमार RAC के सन्दर्भ प्रो. डार पी. नारुवेदी अकाउंट प्राप्त अकाउंट लिखा (RAC अकाउंट) का परीक्षण किया गया।

परीक्षण में पाया गया कि कुलजिन्दू पाण्डेय के अकाउंट RAC अकाउंट 15418 + 15416 लिखा गया है, जिसका योग 64 (चौसठ) अकाउंट होता है किन्तु योग में गणना की गयी है 54 (चौवन) लिखा गया है।

अतः इसे 64 (चौसठ) अकाउंट होने से तदनुसार आकस्मिक क्षतिपूर्ति दी जाय। इसके साथ ही अखिल विषय की अकाउंट लिखा के अन्य सभी प्रतिभागियों के योग को भी पुनः देख लिया गया है। अन्य सभी योग सही है।


01/07/2019


01/07/2019

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक. 03-07-2019

आधि सूचना क्रमांक/शोध संस्था./368/2019, दिनांक.
21-07-2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक
02.07.2019 को शोध. संचालनालय में अणुसं. 12-30 के
आयोजित की गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नकुशा
रही -

1. प्रो. आर. राम सिंह संयोजक
विभागाध्यक्ष, पशु. जीव विज्ञान
 2. प्रो. जे. पी. सिंह सदस्य
आचार्य, गणित विभाग
 3. प्रो. जन. पी. पाठक सदस्य
आचार्य, पशु. अर्थशास्त्र विभाग
 4. प्रो. (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव सदस्य
विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
 5. प्रो. सुनील मिश्रा सदस्य
आचार्य, लाइफ लॉग लीनर विभाग
 6. प्रो. आर. राम सिंह सचिव सदस्य
संचालक, शोध संचालनालय
 7. ज. पी. के. राम उपसंचालक
अमेरिका सदस्य
- प्रवेश समिति द्वारा बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी -

1. मध्य प्रेषण शासन की आरक्षण नीति के अन्तर्गत, मेरिट लिस्ट में आरक्षण पर विचार करना।
2. Cut off Marks के ऊपर अभ्यर्थियों से कैसे वर्क करने कावत प्राप्त आवेदन पर विचार करना।
3. Course fee पर विचार करना।
4. आयुर्वेद संकाय

(9) कुलसचिव मेडिकल कॉलेज नवलपुल के पत्र पर

विचार करना।

(क) आयुर्वेद संकाय के छात्रों के तरह से Advocate से प्राप्त नोटिस पर विचार करना।

[Signature]
03/07/19

[Signature]
03/07/19

[Signature]
3/7/19

[Signature]
03.7.19

[Signature]
3/7/19

दिनांक 03.07.2019 को प्री. पी.एच-डी. प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

1. क्र. 01 को विचार में लेने के पूर्व सह पठित क्रमांक 02 के साथ निर्णय लिया गया कि-
संयुक्त रूप से कार्यसूची के बिन्दु क्र. 01 एवं 02 पर निर्णय लेते हुए अनुशंसा की गयी कि DET-2018 के साक्षात्कार के RAC द्वारा निर्धारित प्रत्येक विषय में Cut off Marks के बराबर या उससे अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को इस आशय का वचन पत्र/शपथ पत्र लेकर कोर्सवर्क करने के लिये अनुमति प्रदान की जा सकती है। कि वे स्वयं की जिम्मेवारी से प्रवेश ले रहे हैं कि उन्हें शोध निर्देशक मिल जायेंगे। जिसके लिये शोध संबंधी आगामी कार्यवाही के लिये संबंधित उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होंगे साथ ही मध्यप्रदेश आरक्षण नियम के अनुसार समस्त संवर्गों के लिये निर्धारित प्रावधानों को लागू किये जाने की भी अनुशंसा की जाती है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही का विश्वविद्यालय के सक्षम निकायों से समुचित अनुमोदन करा लिया जाय।

3. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पत्र क्र./1664 दिनांक 11.06.2019 जो कि कुलसचिव अक्वेश प्रताप सिंह को संबोधित है, को भी समिति ने संज्ञान में लेते हुए यह अनुशंसा की, कि चूँकि प्रकरण नीतिगत है तथा दो विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक गतिविधियों के आदान-प्रदान से संबंधित है। अतः इस पर विश्वविद्यालय के सक्षम अकादमिक/प्रशासनिक निकायों के माध्यम से समुचित निर्णय लेकर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

संयोजक एवं सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

[Signature]
3-7-19

[Signature]
03/07/19

[Signature]
03/07/19

[Signature]
03.07.19
3/7/19

सत्री सम्मन्वयकों की बैठक सूचना

08.08.2019 के माध्यम से प्रेषित अध्यादेश के लिए दिनांक 19.8.2019 से प्रारम्भ होने वाले श्री. पी. एच. डी. कोर्स के लिए सम्मन्वयकों के विचार विमर्श हेतु सभी कोर्स वर्क सम्मन्वयकों की बैठक दिनांक 14.8.2019 के अपरान्त 04 बजे प्रा. नौ आर. नौ गापुर कक्ष के माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित है।

सभी सम्मानित कोर्स वर्क सम्मन्वयकों से अनुरोध है कि कृपया बैठक में पधारने का कष्ट करें।

संचालक



श्री. पी. एच. डी. 0 वेतन वृद्धि की बैठक 14.8.2019

अदेशानुसार श्री. पी. एच. डी. कोश वरुडे के सम्बन्ध में सम्बन्धकों की बैठक दिनांक 14.8.2019 के दिन बुधवार समय 01 बजे प्रो. वी. आर. वी. माधुर कक्षा में आयोजित की गई है। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. डे. स्व. सिंह यादव, कुलपति, 14/8/19
2. प्रो. आर. स्व. मिश्रा, स. कोश सम्बन्धक, 14/8/19
3. प्रो. विजय कुमार अग्रवाल, " " " "
4. प्रो. स्व. पी. पाठक, " " " "
5. प्रो. (सी. टी.) अंजली शीवास्त्व, " " " "
6. प्रो. राजीव डुवे, " " " "
7. प्रो. एस. स्व. अग्रवाल, " " " "
8. प्रो. आर. स्व. सिंह, " " " "
9. प्रो. (सी. टी.) नीवता शीवास्त्व, " " " "
10. प्रो. दिनेश कुशवाहा, " " " "
11. प्रो. (सी. टी.) शुभा तिवारी, " " " "
12. प्रो. डी. एस. वघेल, " " " "
13. प्रो. अतुल पण्डित, " " " "
14. प्रो. शैफाल मिश्रा, " " " "
15. प्रो. महेश चन्द्र शीवास्त्व, " " " "

16. प्रो० आर० एन० तिवारी, कोर्स समन्वयक 14/8/19
- 17 - प्रो० (डीमती) उर्मिला शर्मा, " 14/8/19
- 18 - डा० श्रीकेश० राम, उपसंचालक, 14/8/19
- 19 श्री लाल साहव सिंह, कुलसचिव, 14/8/19

निम्न निर्णय लिखे गये :

- दिनांक 19-8-2019 से प्री-वी-एच-डी कोर्स वर्क की शकशाओं का संचालन क्रिये जाने का निर्णय लिखा गया।
- कोर्स वर्क संचालन की व्यवस्था हेतु प्रत्येक विषय के कोर्स समन्वयक को ₹-40,000=रु अंशुम मान्य दिया गया। इस समन्वयक में कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है।

सूचित प्री.पी.एच.डी कोर्स वर्क से सम्बन्धित मानदेय
मुगलान के सम्बन्ध में विचार हेतु आज दिनांक 30.8.2019
को बैठक आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों
की उपस्थिति निम्नाहसार है

- 1- प्रो० आर० राम० मिश्र संयोजक Dushk
30/8/19
विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान
विभाग.
- 2- प्रो० जे० पी० सिंह सदस्य
आचार्य शीघ्रत विभाग,
- 3- प्रो० अन० पी० पाठक " Nathrah
30/8/19
अचार्य व्याकरण अर्थशास्त्र विभाग,
- 4- श्रीमती अंजली ठीवास्त्व " Jhansi
विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग,
- 5- प्रो० सुनील कुमार तिवारी "
अचार्य लघुक कृक लोका लेनिंग विभाग "
- 6- प्रो० आर० राम० सिंह " Dushk
30/8/19
संचालक शोध संचार
- 7- प्रो० पी० के राय " Dushk
30/8/19
उप संचालक शोध संचार

निम्नलिखित एक्स-एच.पी. पाठ्यक्रमों हेतु कार्रवाई किण्व द्वारा
अतिथि विद्वानों के लिये जारी कार्रवाई आदेश/प्रमाण/2019/455
दिनांक 18/08/2019 को जारी किया गया आदेश के अंतर्गत
प्रत्येक अतिथि शिक्षक के तीन व्याख्यान तथा माह भर
मुगलान की अधिकतम सीमा 2-25000:0 के अंतर्गत
मुगलान भिजा जाता है- हेतु उक्त आदेश का सम्बन्ध
विश्वनिद्यालय के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं एक्स.एच.पी.
पाठ्यक्रमों के प्रो० एवं पी.डी. पाठ्यक्रमों से संबंधित है

कतः इसकी प्रभावशीलता केवल इन्हीं पाठ्यक्रमों में मान्य रहे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में यहां यह स्पष्ट रूप से उद्देश्योक्ति किया जाता है कि जहां तक प्री-या एच.डी कोर्स वर्क में अतिमि शिक्षकों एवं मास्टर प्रोफेसर्स के अद्वितीय कार्य एवं उसके मानक के मुकाम का प्रश्न है, जो कारिक्त विभाग के उक्त आदेश से बाजोड़े हुए सर्वथा पृथक् मान्य किया जाय ताकि मुकामान के समान कोई विसंगति उत्पन्न न हो और निपात शिक्षकों के जमाव के फलस्वरूप अतिमि विद्वानों के माध्यम से इन्हें संचालित करने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो।

संभोजक के प्रति कृतज्ञता के साथ वैक समाप्त की गयी।

[Signature]
30.8.19

[Signature]
30/8/19

[Signature]
30/8/19

[Signature]
30/8/19

[Signature]
30/8/19

बैंक दिनांक 14-10-2019

अर्थ संकेत/शेड/2018/2013/2013 दिनांक 31-7-2018 के

(10)

आदेशानुसार श्री. पी. एच. डी. प्रवेश समिति की बैंक दिनांक 14-10-2019 के अधोजित की गयी है उस बैंक में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है

1. प्रो० आर० स० मिश्र, संयोजक, विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग

Mishra
14/10/19

2. प्रो० जे० पी० सिंह सहाय F.V.
आचार्य गीत विभाग 14-10-19

3. प्रो० (श्रीमती) अंजली डी. वास्तव " विभागाध्यक्ष मने विज्ञान विभाग

Anjali
14-10-19

4. प्रो० स० पी० पाण्डे " आचार्य व्याकरण अर्थशास्त्र विभाग

Pandey
14.10.19

5. प्रो० सुनील तिवारी " आचार्य, लक्ष्मण लाल वर्निग विभाग,

Sunil
14.10.19

6. प्रो० आर० स० सिंह " कि. संचालक शोध सेवा

Singh
14/10/19

7. डा० पी० के० राय " उप संचालक शोध सेवा

Roy
14/10/19

निम्न निर्णय लिये गये :-

① प्रारूप तैयार कर अनुमोदित कि करवाया गया

②

संचालनालय-शोध
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोसं./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 14.10.2019 को अपरान्ह 03:30 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी। जिसमें सदस्यों उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1.	प्रो. आर.एम.मिश्र विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग	-	संयोजक
2.	प्रो. जे.पी. सिंह आचार्य, गणित विभाग	-	सदस्य
3.	प्रो.एन.पी. पाठक आचार्य, व्या.अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
4.	प्रो.(श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
5.	प्रो. सुनील तिवारी आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग	-	सदस्य
6.	प्रो.आर.एन.सिंह संचालक, संचालनालय शोध	-	सदस्य

समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-


1. DET-2018 के प्रवेश साक्षात्कार में अर्ह (Cut off Marks से ऊपर) एवं कोर्सवर्क से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के संबंध में विचार करना। जिससे ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. रजिस्ट्रेशन हेतु योग्य हो पायें।

निर्णय- समिति ने प्रारूप तैयार कर कोर्स वर्क से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की।

2. ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करना जो पूर्व में सम्पन्न प्री.पीएच.डी. कोर्सवर्क की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं। ऐसे अभ्यर्थी पूर्व से निर्धारित एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे या वर्तमान में चल रहे तीनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा। अगर तीनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा तो तीनों प्रश्न पत्रों का आन्तरिक मूल्यांकन भी कराना होगा।

निर्णय- अध्यादेश के प्राधानानुसार पूर्व Doctoral प्रवेश परीक्षा 2014 के ऐसे पूर्व शोध छात्रों को एक और अवसर देते हुए पूर्व वर्ष 2014 के भूतपूर्व छात्र के रूप में पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा कराये जाने की अनुशंसा की गयी।


14.10.19


14.10.19



अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्र./शोसं/2020/


दिनांक-

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री विषय
पी पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2018, अनुक्रमांक प्रवेश साक्षात्कार में अर्ह पाये
गये। एम.फिल. कोर्स वर्क के साथ उत्तीर्ण होने के कारण इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई
दिल्ली के द्वारा विरचित एम.फिल./पी-एच.डी. विनियम, 2016 के आलोक में इस विश्वविद्यालय में
प्रभावशील अध्यादेश क्र. 11 (पी-एच.डी.) के परन्तुक 11 (A) के अन्तर्गत पी-एच.डी. कोर्स वर्क से छूट
की पात्रता है।



संचालक (शोध)

कुलसचिव


14-10-19


14.10.2019


14.10.19


14.10.19


14/10/19

ऐसे अभ्यर्थियों को भी आवेदनों पर विचार करना जो पूर्व में कोर्स वर्क किये लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।

1- बिन्दु क्रमांक 02 पर लिया गया निर्णय इस बिन्दु के अभ्यर्थियों के लिये भी यथावत् लागू किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

प्रो पीएच.डी कोर्सवर्क की परीक्षा तिथि, मौखिक परीक्षा एवं परीक्षाफल घोषित करने की तिथियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार करना।

1- DET-2018 के प्रवेशित शोध छात्रों हेतु कोर्स वर्क परीक्षा दिनांक 16, 18 तथा 20 जनवरी, 2020 को आयोजित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 21, 22 जनवरी, 2020 को साक्षात्कार की अनुशंसा की जाती है, तथा JRF छात्रों के पंजीयन इत्यादि को देखते हुए 31 जनवरी, 2020 तक परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

ख्यादेश क्र. 11 के बिन्दु 11 (a) के संबंध में कार्यवाही के संबंध में विचार करना।

1- UGC/JRF प्राप्त शोध छात्रों को कोर्स वर्क केन्द्रों से उनकी उपस्थिति सत्यापित कराकर संचालनालय द्वारा उनका प्रकरण अग्रेषित कराये जाने हेतु संचालक, शोध को अधिकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Wibh
14/10/19

Asya
14/10/19

Mathale
14.10.19

J.K.
14.10.19

R
14.10.19

Deviastar
14/10/19

P. S. D.
14-10-19

विश्वविद्यालय डी ओनर्सना कक्षा / शोध संकाय/2019/273
 दिनांक 31-10-2019 द्वारा गठित प्रवेश समिति की बैठक दिनांक
 31-10-2019 को शोध संचालनालय में सम्पन्न की गयी थी।
 आयोजित की गई। जिसमें निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही।

1. प्रो० आर० राम० मिश्र, संचालक, Mathur
 विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग, 31/10/19
2. प्रो० जे० पी० सिंह, सदस्य - J.P.
 आचार्य गणित विभाग, 31-10-19
3. प्रो० राम० पी० पांडे, " Mathur
 आचार्य व्याकरण प्रशासन विभाग, 31-10-19
4. प्रो० (टीमती) अंजली श्रीवास्तव, " Mathur
 विभागाध्यक्ष मनो विज्ञान विभाग, 31/10/19
5. प्रो० सुनील विवारी, " J.P.
 आचार्य लाइफ लांग लर्निंग विभाग,
6. प्रो० आर० राम० सिंह, Mathur
 संचालक शोध संचालनालय, 31.10.19
7. डा० पी० के० राय, Mathur
 उप संचालक, शोध संचा०, 31.10.19

बैठक दिनांक 31.10.2019

समिति के समक्ष अनेक विभागों से ऐसे आवेदन आने प्रारम्भ हुए हैं जिनमें प्री.पी-एच.डी. कोर्सवर्क में पंजीकृत शोध छात्रों ने कोर्सवर्क में अपनी उपस्थित दी है किन्तु अपरिहार्य कारणों से वे कोर्सवर्क की निर्धारित अवधि में अपनी वांछित उपस्थिति पूर्ण नहीं कर पाये हैं। उनमें कुछ छात्र जम्मू कश्मीर के हैं तथा कुछ अस्वस्थता के कारण भी उपस्थित नहीं हो पाये हैं।

अतः ऐसे सभी प्रकरणों के लिये अन्तिम अवसर के रूप में प्री. पी-एच.डी. कोर्सवर्क के समन्वयकों द्वारा इन शर्तों के साथ कि उचित कारण होने पर जहां एम.फिल. की कक्षाएं उसी विषय में उसी विभाग में संचालित हो रही हों, इन छात्रों की पी-एच.डी. कोर्सवर्क की कक्षाएं संचालित करा ली जायें। ऐसी अतिरिक्त कक्षायें एम.फिल. कोर्सवर्क की कक्षाओं के साथ संचालित होंगी। अतः इनके लिये पृथक से मानदेय प्रदान नहीं किया जाय और इन कक्षाओं के लिये पहले से पी-एच.डी. कोर्सवर्क में उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

[Signature]
31.10.19

[Signature]
31.10.19

[Signature]

[Signature]
31/10/19

[Signature]
31-10-19

[Signature]
31.10.19

[Signature]
31/10/19

[Signature]
31/10/19

बैठक दिनांक - 09-12-2019

DATE
PAGE

आज दिनांक 09-12-2019 को समय 3-30 बजे पीएचडी प्रवेश समिति की बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें निम्नानुसार सत्रियों की उपस्थिति है।

- 1- प्रो० आर० राम० मिश्र, संयोजक, 09/12/19
विभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग
2. प्रो० रम० पी० पाठक, सदस्य, 09.12.19
आचार्य व्याख्यान अत्रिशास्त्र विभाग,
3. प्रो० (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव, " 09/12/19
विभागाध्यक्ष मनो विज्ञान विभाग
4. प्रो० सुनील तिवारी, " 09/12/19
आचार्य व्याख्यान अत्रिशास्त्र विभाग
5. प्रो० आर० रम० सिंह, " 09/12/19
संचालक शोध संचालक
6. प्रो० पी० के० राय, " 09/12/19
उप संचालक शोध संचालक
(अतिथित सदस्य)

समिति की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसायें की गयीं-

1. छात्र मनीष प्रसाद गौतम के आवेदन दिनांक 29.11.2019 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में समिति ने DET-2018 के आवेदन पत्र का सामूहिक रूप से अवलोकन किया। जिसके अन्तर्गत छात्र ने आवेदन पत्र में Course details एवं other details दोनों में संस्कृत विषय के लिये आवेदन किया है। जबकि उपरोक्त आवेदन दिनांक 29.11.2019 के बिन्दु क्रमांक-02 में छात्र ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी को उद्धृत करते हुए स्वयं यह माना है कि वह मात्र दर्शनशास्त्र विषय में ही शोध कर सकता है। जबकि अध्यादेश क्र०-11 के 8-B के अन्तर्गत कोई भी आवेदक प्रत्येक विषय में अलग अलग आयोजित प्रवेश परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकता है। इसका शब्दशः अंश निम्नानुसार है-

"Candidates shall be admitted through the Doctoral Entrance Test (DET), which shall be conducted for each subject separately at the University Teaching Department."

अतः आ
समय छात्र के अ
अन्य विषय में प्रा
स्वयं छा
पात्रता बनती है
जाना अनुशंसित
2. समिति
Literature) त
क्र.11 के बिन्दु
वाक्यांश "The
as per the e
the other pr
में संचालित ए
परीक्षकों से मू
अतः त
समीक्षा (Revi
Viva-voce
कराये जाने क

09/12/19

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण सूचना एवं ऐसी स्थिति में आवेदन पत्रों की संवीक्षा के समय छात्र के आवेदन पत्र में की गयी घोषणा पर विश्वास की स्थिति में छात्र की योग्यता के विरुद्ध अन्य विषय में प्रावधिक पंजीयन हुआ है।

स्वयं छात्र के आवेदन के बिन्दु क्र०-02 के अनुसार उसे दर्शनशास्त्र विषय में पीएच.डी. की पात्रता बनती है। अतः अध्यादेश 11 की कण्डिका 8-B के तहत छात्र का पंजीयन निरस्त किया जाना अनुशंसित किया जाता है।

2 समिति के समक्ष सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित शोध साहित्य की समीक्षा (Review of Literature) तथा Comprehensive Viva-voce के मूल्यांकन के संबंध में समिति ने अध्यादेश क्र.11 के बिन्दु क्र. 11 (A) का अवलोकन करने के उपरान्त इसी अध्यादेश के अन्तर्गत उल्लेखित वाक्यांश "The examination and evaluation scheme for Ph.D. course work shall be as per the examination and evaluation scheme of the University applicable to the other programmes of the UTDs" के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागों में संचालित एम.फिल. पाठ्यक्रम के Comprehensive Viva-voce में आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन कराया जाता है।

अतः तदनुसार Pre Ph.D. course work की परीक्षा संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा (Review of Published Research in the relevant field) तथा Comprehensive Viva-voce का मूल्यांकन दो परीक्षकों (सुपरवाइजर तथा एक बाह्य परीक्षक) द्वारा संयुक्त रूप से कराये जाने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

[Signature]
9.12.19

[Signature]
9/12/19

[Signature]
09/12/19






[Signature]
9.12.19

[Signature]
09.12.19
9.12.19.

वैठक दिनांक 17.12.2019

DATE
PAGE


विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक/शोध संका/2019/233 दिनांक 31-7-2018 गठित समिति प्रवेश समितिकी बैठक समय 12 बजे शोध संशालनालय में आयोजित की गयी, जिसमें निम्न लक्ष्य उपस्थित हुये।


1. प्रो० आर० राम० मिश्र, संयोजक
निभागाध्यक्ष पर्यावरण जीव विज्ञान
विभाग 
17/12/19
2. प्रो० रम० पी० पाठक सदस्य
आचार्य व्याव० अर्थशास्त्र विभाग
3. प्रो० (स्त्रीमती) अंजली श्रीवास्तव
निभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, 
18/12/19
4. प्रो० सुनील कुमार अग्रवाल
आचार्य लाइफ लांग लर्निंग विभाग, 
17-12-19
5. प्रो० आर० रम० सिंह
वि संचालक शोध संशालनालय, 
17/12/19
6. डा० पी० डे० राम
उप संचालक शोध संकाय, 
17/12/19

वर्ष 2012-13 बैच के अर्थात्कैं जो कोर्स
वर्क कर चुके है एवं कोर्स वर्क की परीक्षा में
अनुत्तीर्ण हो गये है अथवा परीक्षा में सम्मिलित नही
हुये है, ऐसे अर्थात्कैं के आवेदन पत्रों का
समिति द्वारा अवलोकन किया गया। ऐसे छात्रों
द्वारा मूतपूर्व ध्यान के रूप में पुराने पाठ्यक्रम से
परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुशंसा चाही गयी
है। अध्यादेश 30(A) के F(I) के अनुसार ऐसे
अर्थात्कैं को परीक्षा में सम्मिलित होने का स्पष्ट
अवसर और प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अतः
अध्यादेश 30(A) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में


इसे अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


17/12/19


17/12/19

Janki
17-12-19


17/12/19


17/12/19

संचालनालय-शोध
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोसं./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 27.12.2019 को अपराह्न 03:30 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

- | | | | | |
|----|---|---|----------------|-------------------------|
| 1. | प्रो. आर.एम.मिश्र
विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग | - | संयोजक | <i>Wash</i> |
| 2. | प्रो.एन.पी. पाठक
आचार्य, व्या.अर्थशास्त्र विभाग | - | सदस्य | <i>Mathish 27-12-19</i> |
| 3. | प्रो.(श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग | - | सदस्य | <i>Chinestee</i> |
| 4. | प्रो. सुनील तिवारी
आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग | - | सदस्य | <i>Rishi Ws</i> |
| 5. | प्रो.आर.एन.सिंह
संचालक, संचालनालय शोध | - | सदस्य | <i>Asingh</i> |
| 6. | डॉ. पी. के. राय
उप संचालक, संचालनालय शोध | - | आमंत्रित सदस्य | |

समिति की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसायें की गयीं-

- माननीय कुलपति महोदय द्वारा संचालक शोध को अंकित प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क के शोधार्थियों के आवेदन का समिति ने संज्ञान में लिया। कोर्सवर्क की परीक्षा स्थगित करने के तीन आवेदनों में से द्वितीय आधार को समिति ने विचार में लेते हुए प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क के छात्रों की यू.पी. शिक्षक पात्रता परीक्षा दिनांक 19 जनवरी, 2020 को आयोजित होने के कारण वर्तमान में प्रस्तावित प्रारम्भ होने वाली परीक्षा दिनांक 16 जनवरी, 2020 के स्थान पर 17, 18, 19 एवं 20, 2020, फरवरी को सम्पादित कराने की अनुशंसा की जाती है। प्रत्येक प्रश्नपत्र की लिखित परीक्षा के उपरान्त कोर्स को ऑर्डिनेटर परीक्षा तिथियों में Comprehensive Viva-Voce एवं Review of Literature का मूल्यांकन सुविधानुसार सम्पन्न कराते हुए समय सारिणी के अन्तिम दिवस Viva-Voce के लिये नियत दिनांक 20.02.2020 को शाम 5:30 बजे तक पूर्ण करा लिया जाय।

2. कतिपय विभागों से कुछ ऐसे रिसर्च कोर्सवर्क में सम्मिलित छात्रों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कोर्सवर्क तो Join किया था किन्तु अपनी कुछ निजी समस्याओं के कारण कोर्सवर्क हेतु निर्धारित उपस्थिति पूर्ण नहीं कर पाये हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की कोर्सवर्क शुल्क एवं उनका आगामी कोर्सवर्क हेतु आवेदकत्व व्यापक छात्र हित में सुरक्षित करने की अनुशंसा की जाती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Abhy
27.12.19

Raj
27/12/19

Adwaita
27/12/19

Nalika
27.12.19

Raj
27.12.19

बैठक-दिनांक 06-3-2020

संचालनालय-शोध
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोस./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 06.03.2020 को अपराह्न 01:00 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1.	प्रो. आर.एम.मिश्र	-	संयोजक	<i>Ar. M. Mishra</i> 06/03/2020
	विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग			
2.	प्रो.एन.पी. पाठक	-	सदस्य	<i>N. P. Patil</i> 06/03/2020
	आचार्य, व्या.अर्थशास्त्र विभाग			
3.	प्रो.(श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव	-	सदस्य	<i>Anjali Srivastava</i> 6/3/2020
	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग			
4.	प्रो. सुनील तिवारी	-	सदस्य	
	आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग			
5.	प्रो.आर.एन.सिंह	-	सदस्य	<i>A. N. Singh</i> 6/3/2020
	संचालक, संचालनालय शोध			
6.	डॉ. पी. के. राय	-	आमंत्रित सदस्य	<i>P. K. Ray</i> 6/3/2020
	उप संचालक, संचालनालय शोध			

समिति की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसायें की गयीं-

- माननीय कुलपति महोदय द्वारा संचालक, शोध को अंकित प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क की परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न शोधार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र के संबंध में प्राप्त आवेदनों का समिति ने संज्ञान में लिया।
निर्णय - समिति ने प्रकरण पर विचार करने से पूर्व प्री पी-एच.डी. कोर्सवर्क से संबंधित विषयों-भूगोल, इतिहास एवं प्रा.भा.इ.सं. एवं पु. के संबंधित प्रश्न पत्र कम्प्यूटर एप्लीकेशन का अवलोकन किया साथ ही पाठ्यक्रम समन्वयकों से प्रश्न पत्र के शिक्षण-माध्यम के संबंध में भी चर्चा की। दोनों माध्यमों से यह ज्ञात हुआ कम्प्यूटर एप्लीकेशन की विषय सामग्री अंग्रेजी विषय होने से इसका पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में तथा शिक्षण का माध्यम भी आंशिक रूप से अनुपात में अंग्रेजी बाहुल्य रहा है। ऐसी स्थिति में समिति का प्रकरण के संबंध में सुविचारित अभिमत यह है कि प्री पी-एच.डी. कोर्सवर्क जैसे उन्नत पाठ्यक्रम के छात्रों/परीक्षार्थियों के अंग्रेजी भाषा में मुद्रित पाठ्यक्रम व परीक्षा के प्रकरण को अंग्रेजी में समझ कर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखने की सामर्थ्य की अपेक्षा की जाती है। वैसे भी दोनों विषयों में आवेदन देने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों से काफी कम है। यही नहीं केवल भूगोल विषय के छात्रों ने ही कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रश्न पत्र के दुबारा परीक्षा कराये जाने का आवेदन दिया है। इतिहास एवं प्रा.भा.इ.सं. एवं पु. के प्रश्न पत्र का

इस प्रश्न पत्र को उदारता पूर्वक कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों द्वारा किया जाय।

2. प्राणिशास्त्र व वाणिज्य अदल बदल की शिकायत की है।
निर्णय - यह शिकायत शोध प्रकरण में है। चूंकि पुराने पाठ्यक्रम में इस विषय में नवीन पाठ्यक्रम में वृद्धि में पृथक कर दिया गया है। जिससे सामग्री न होने से इस प्रश्न पत्र में हैं न की प्रतिकूल।

अतः पुराने पाठ्यक्रम व नए पाठ्यक्रम का समायोजन हुआ इनके पूर्णांक का समायोजन को सामायोजित किये जाने की

3. इसी प्रकार एक परीक्षा अर्थशास्त्र विषय में बैठाये जाने की।
निर्णय - समिति ने उक्त प्रकरण के पाठ्यक्रम अक्षरशः एक ही है। विषय की शोध प्रविधि प्रश्न पत्र में किया जाकर उसके प्राप्तांकों व अनुशंसा की गयी।

4. संचालनालय के माध्यम ऑर्डिनेन्स क्र0 11 के बिन्दु क्र.1 केन्द्रों से प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रतिकूल है।

निर्णय - उपर्युक्त विसंगति को प्रावधानानुसार निम्नांकित आधार obtain a minimum of aggregate in the course Ph.D. programme".

संयोजक

Ar. M. Mishra
6/3/2020

6/3/2020

इस प्रश्न पत्र को उदारता पूर्वक मूल्यांकन का अनुरोध किया है। निष्कर्षतः समिति की यह अनुशंसा है कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों द्वारा दी गयी प्रथम परीक्षा यथावत् मान्य करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

2. प्राणिशास्त्र व वाणिज्य विषय के परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा के पुराने एवं नवीन प्रश्न पत्र की अदल बदल की शिकायत की है।

निर्णय — यह शिकायत शोध प्रविधि प्रश्न पत्र दिनांक 17.02.2020 को सम्पन्न हुई परीक्षा से संबंधित है। चूंकि पुराने पाठ्यक्रम में इस प्रश्न पत्र की विषय सामग्री में कोई एक इकाई कम्प्यूटर से संबंधित थी, जबकि नवीन पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर एप्लीकेशन की पाठ्य सामग्री के एक अलग प्रश्न पत्र के रूप में पृथक कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप अब नवीन पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर एप्लीकेशन की विषय सामग्री न होने से इस प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अपेक्षाकृत कम हो गया जो कि परीक्षार्थियों के हित में है न की प्रतिकूल।

अतः पुराने पाठ्यक्रम की जगह नये पाठ्यक्रम के शोध प्रविधि के पाठ्यक्रम को मान्य करते हुए इनके पूर्णांक का समायोजन 80 के पूर्णांक को 100 में परिवर्तित कर आनुपातिक रूप से प्राप्तांकों को सामायोजित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. इसी प्रकार एक परीक्षार्थी द्वारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय की प्रश्न पत्र के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय में बैठाये जाने की शिकायत की है।

निर्णय — समिति ने उक्त प्रकरण के संबंध में दोनों पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया। दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम अक्षरशः एक ही है। अतः उक्त छात्रा कुमारी निगार क्वातिमा के व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय की शोध प्रविधि प्रश्न पत्र के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय की शोध प्रविधि के प्रश्न पत्र को मान्य किया जाकर उसके प्राप्तांकों को व्यावसायिक अर्थशास्त्र की शोध प्रविधि हेतु मान्य किये जाने की अनुशंसा की गयी।

4. संचालनालय के माध्यम से यह तथ्य समिति के संज्ञान में लाया गया कि पी-एच.डी. के ऑर्डिनेन्स क्र० 11 के बिन्दु क्र.11 के उपबिन्दु 11-(f) के संबंध में विभिन्न प्री पी-एच.डी. कोर्सवर्क के केन्द्रों से प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्न पत्र के पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक के अंकों में भिन्नता पायी गयी है।

निर्णय — उपर्युक्त विसंगति को दृष्टिगत रखते हुए समिति की यह स्पष्ट अनुशंसा है कि अध्यादेश के प्रावधानानुसार निम्नांकित आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जायें। **"The candidate has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade points in aggregate in the course work in order to be eligible to continue in the Ph.D. programme"**.




संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

6/3/2020
6/3/2020
06.03.2020
6/3/2020

वैठक दिनांक 11.6.2020

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 18 मार्च 2020 की स्थागित बैठक दिनांक 23 मार्च 2020 के कार्यक्रम के विन्दु क्रमांक -3 के निर्णयानुसार आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के सम्बन्ध में पी. एच. डी. आवेदकों के प्रवेश एवं यजीपन के सम्बन्ध में निम्नानुसार इतिहास में कार्रवाई हेतु विचार कर अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है। क्रमांक/ कुलस्वस्व/ 2020/ 1030 दिनांक 04.06.2020 के अनुसार।

समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं।

- 1- प्रो० आर० एम मिश्र, संयोजक, 
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग 11/6/2020
2. प्रो० आर० एन सिंह, सदस्य 
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
वायुत विभाग 11/6/2020
- 3- प्रो० दिनेश कुशवाहा, सदस्य 
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
हिन्दी विभाग 11.06.2020

आयुर्वेद विषय के पत्र क्र. 1030 दिनांक 23.03.2020 के पद क्र. 1030 के अनुसार बैठक सम्पन्न हुई। समिति निम्न

1. सत्र 2018-19 के लिये प्रवेश सूची द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा लेकिन दूसरी बार प्रशासक द्वारा प्रवेश कराया गया।
2. इसी समय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आचार्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सूचना के परिपेक्ष्य में प्रवेश सूची (आयुर्वेद संकाय) संख्या 1030/2020
3. उपरोक्त (विन्दु-03) के अनुसार आयुर्वेद संकाय के लिये प्रवेश सूची
4. रीवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा सम्मिलित करते हुए प्रवेश सूची संकाय की प्री. पी-एच.डी. के लिये
5. इसी समय अवधेश प्रताप सिंह द्वारा प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित किया गया है कि मेडिकल विभाग जा रहा है। अतः जो कि तत्काल जबलपुर मेडिकल विभाग
6. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रवेश हेतु साक्षात्कार उपस्थित किया किन्तु मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान फलस्वरूप प्रवेश हेतु आचार्य विभाग

प्रतिवेदन

आयुर्वेद विषय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रकरण पर कार्यपरिपत्र की बैठक दिनांक 23.03.2020 के पत्र क्रमांक 03 के अनुसार गठित समिति की आज दिनांक 11.06.2020 को बैठक सम्पन्न हुई। समिति निम्नांकित तथ्यों से अवगत हुई।

1. सत्र 2018-19 के लिये पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अक्षय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, शीवा द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा विज्ञापन में आयुर्वेद संकाय को सम्मिलित किया गया। लेकिन दूसरी बार प्रशासन की अनुमति नहीं होने के कारण विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया।

(संलग्नक-01)

2. इसी समय मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति का पत्र क्र. कुलपति कार्यालय/2019/29 दिनांक 04.02.2019 प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा सत्र 2018-19 के लिये पी-एच.डी.पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है। फलस्वरूप शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के परिपेक्ष्य में अक्षय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शीवा द्वारा सत्र 2018-19 में पी-एच.डी. (आयुर्वेद संकाय) से सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(संलग्नक-02)

3. उपरोक्त (विन्दु-03) के अनुक्रम में अक्षय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शीवा प्रशासन द्वारा आयुर्वेद संकाय के लिये पुनः प्रवेश विज्ञापन जारी किया गया।

(संलग्नक-03)

4. शीवा विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2019 को अन्य विषयों के साथ आयुर्वेद संकाय को सम्मिलित करते हुए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गयी तथा दिनांक 27.05.2019 को आयुर्वेद संकाय की प्री. पी-एच.डी. के कोर्सवर्क में प्रवेश हेतु साक्षात्कार आयोजित किया गया।

(संलग्नक-04)

5. इसी समय अक्षय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शीवा को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का पत्र क्र./कुलसचिव/2019/1664 दिनांक 11.06.2019 प्राप्त हुआ जिसमें लेख किया गया है कि मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा स्वयं पी-एच.डी. का संचालन किया जा रहा है। अतः जो चिकित्सक आयुर्वेद विषय से पी-एच.डी. कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण तत्काल जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय में करें।

(संलग्नक-05)

6. अक्षय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शीवा द्वारा दिनांक 26.07.2019 को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार उपरान्त अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम तैयार किया गया किन्तु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के उपरोक्त पत्र दिनांक 11.06.2019 के फलस्वरूप प्रवेश हेतु अर्ह पाये गये इन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सका।

7. विश्वविद्यालय शीवा की विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.07.2019 के आयटम क्र. 04 के निर्णय क्र. 02 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.07.2019 के पृष्ठ कार्यसूची निर्णय क्र. 05 अनुसार वर्ष 2018-19 के आयुर्वेद संकाय के पी-एच.डी. प्रवेश संबंधी समस्त अभिलेख दिनांक 08.08.2019 को कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को प्रेषित किया गया।

(संलग्नक-06)

8. आयुर्वेद संकाय के पी-एच.डी. प्रवेश संबंधी शीवा विश्वविद्यालय के उपरोक्त अभिलेखों को कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पत्र क्र./पीएच.डी./2019/2827 दिनांक 29.08.2019 द्वारा शीवा विश्वविद्यालय को वापस इस लेख के साथ भेज दिया गया कि मेरे यहाँ वर्ष 2019-20 से पी-एच.डी. पाठ्यक्रम संचालित होने जा रहा है जबकि आपके द्वारा भेजे गये आयुर्वेद संकाय का वर्ष 2018-19 का है, जिसका संचालन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा करना संभव नहीं है। अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2018-19 का पी-एच.डी. पाठ्यक्रम को अपने विश्वविद्यालय से ही संचालित करें।

(संलग्नक-07)

9. आयुर्वेद संकाय को छोड़कर शेष सभी संकायों का प्री पी-एच.डी. कोर्सवर्क का संचालन दिनांक 19.08.2019 से प्रारम्भ कर सम्पन्न कराया जा चुका है।

10. माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त शोध संचालनालय द्वारा पत्र क्र./शोध संचा/2019/95 दिनांक 15.10.2019 को आयुर्वेद संकाय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी सभी अभिलेख मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को पुनः प्रेषित किये गये।

(संलग्नक-08)

11. लेकिन कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान जबलपुर के पत्र क्र./पीएच.डी./2019/3676 दिनांक 01.11.2019 द्वारा उपरोक्त संबंधित अभिलेखों को डाक द्वारा पुनः अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शीवा को वापस भेज दिया गया तथा लेख किया गया कि शीवा विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये दस्तावेजों के संबंध में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में दिनांक 24.10.2019 को आयोजित Ph.D. Board of Research की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि MPMSU में पी-एच.डी. पाठ्यक्रम प्रारम्भिक सत्र 2019-20 से संचालित होने जा रहा है जिसका संचालन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा करना संभव नहीं है। साथ ही उल्लेख किया गया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2018-19 का पी-एच.डी. पाठ्यक्रम का संचालन आप अपने विश्वविद्यालय से ही संचालित करें अथवा इस संबंध में स्वतः ही समुचित निर्णय लें।

(संलग्नक-09)

अभिमतः

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति का अभिमत निम्नानुसारः

1. पी. पी-एच.डी कोर्सवर्क के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों को Research Degree Committee के समक्ष साक्षात्कार हेतु स्वयं को प्रस्तुत होना पड़ता है। अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 में पी-एच.डी पाठ्यक्रम में पंजीयन हेतु Research Degree Committee (RDC) के गठन का प्रावधान है। इस समिति में संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, संबंधित विषय के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष, विषय से संबंधित अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तावित पाँच विषय विशेषज्ञों के पैनल में से माननीय कुलपति जी द्वारा नियुक्त एक बाह्य विषय विशेषज्ञ होते हैं। माननीय कुलपति इस समिति के अध्यक्ष होते हैं।
2. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा की सम्बद्धता मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से होने के कारण वर्तमान में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयुर्वेद संकाय अस्तित्व में नहीं है। इस कारण अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के अनुसार आयुर्वेद विषय की Research Degree Committee (RDC) का गठन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में वर्तमान में आयुर्वेद संकाय की RDC गठन हेतु अध्यादेश-11 के उपरोक्त प्रावधान अनुसार आवश्यक अकादमिक पदाधिकारी अनुपलब्ध हैं।
3. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा 03 मार्च, 2019 को आयोजित पी. पी-एच.डी प्रवेश परीक्षा में आयुर्वेद विषय के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे तथा दिनांक 26.07.2019 को साक्षात्कार उपरान्त अर्ह भी पाये गये। लेकिन ये छात्र पी-एच.डी. कोर्सवर्क करने से वंचित हो गये। इन अभ्यर्थियों का अभी पी. पी-एच.डी कोर्सवर्क भी नहीं हो पाया है।
4. अध्यादेश-11 में स्पष्ट प्रावधान है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों एवं विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक ही शोध निर्देशक मान्य किये जा सकेंगे। वर्तमान में आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अतः यहाँ के शिक्षकों को रीवा विश्वविद्यालय में शोध निर्देशक मान्य किया जाना अध्यादेश-11 के प्रावधानों के विपरीत होगा। शोध निर्देशकों की अनुपस्थिति में पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन नहीं हो सकता।
5. भविष्य में पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत Thesis मूल्यांकन हेतु परीक्षा समिति द्वारा परीक्षकों के नामों का पैनल प्राप्त करने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि परीक्षा समिति में संकायाध्यक्ष एवं अध्यक्ष अध्ययन मण्डल सदस्य होते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय अस्तित्व में ही नहीं है तो उपरोक्त पदों के साथ परीक्षा समिति गठित नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर समिति का मत है कि वर्तमान में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयुर्वेद संकाय के अभ्यर्थियों का पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन किया जाना नियमानुसार प्रतीत नहीं हो रहा है।

अनुशंसा


उपरोक्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के परिपेक्ष्य में समिति का अभिमत निम्नानुसार है-

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा सत्र 2018-19 हेतु पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक 03 मार्च, 2019 को आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त दिनांक 26.07.2019 को घोषित अर्ह पाये गये आयुर्वेद संकाय के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा अपने यहाँ सत्र 2019-20 से मान्य करते हुए पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन किये जाने हेतु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की कार्यपरिषद के माध्यम से समन्वय समिति भोपाल के समक्ष प्रकरण विचारार्थ अग्रेषित किये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है। ऐसी परिस्थिति में रीवा विश्वविद्यालय द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त अभिलेखों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को उपलब्ध कराया जाना अनुशंसित है।


अथवा

आयुर्वेद विषय की सत्र 2018-19 के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का कोर्सवर्क परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विशेष परिस्थिति में पूर्व में गठित Research Degree Committee (RDC) के द्वारा ही साक्षात्कार उपरान्त रीवा विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन किये जाने के लिये अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के माध्यम से समन्वय समिति, भोपाल की ओर अग्रेषित किये जाने की समिति अनुशंसा करती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।


प्रो. रहस्यमणि मिश्र
संयोजक


प्रो. आर.एन. सिंह
सदस्य


प्रो. दिनेश कुशवाहा
सदस्य

संचालनालय-शोध
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोसं./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 23.10.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1.	प्रो. आर.एम.मिश्र विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग	-	संयोजक	<i>Mishra</i> 23/10/2020
2.	प्रो. (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान	-	सदस्य	
3.	प्रो. सुनील तिवारी आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग	-	सदस्य	<i>Prasad</i> 23/10/2020
4.	प्रो.आर.एन.सिंह संचालक, संचालनालय शोध	-	सदस्य	
5.	डॉ. पी. के. राय उप संचालक, संचालनालय शोध	-	आमंत्रित सदस्य	<i>Prasad</i> 23/10/2020
6.	प्रो. श्रीकान्त मिश्र	-	विशेष आमंत्रित सदस्य	<i>Mishra</i> 25.10.2020

समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

- छात्र मनीष गौतम के आवेदन दिनांक 19.08.2020 पर विचार करना।

निर्णय:- छात्र के आवेदन पर समिति की पूर्व बैठक दिनांक 09.12.2019 के बिन्दु क्र. 01 के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए छात्र के आवेदन को अमान्य किया गया।

- प्रो. श्रीकान्त मिश्र आचार्य, दर्शनशास्त्र के पत्र दिनांक 16.07.2020 पर विचार करना।

निर्णय:- प्रो. श्रीकान्त मिश्र, आचार्य, दर्शनशास्त्र का पत्र दिनांक 16.07.2020 के तत्सम्बन्ध में समिति अनुशांसा करती है कि अगले पी.एच.डी. विज्ञापन के समय संकायवार विषयों का निर्धारण किया जायेगा।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Mishra
23/10/2020

Prasad
23/10/2020

Prasad
23.10.2020

Prasad
23.10.2020

संचालनालय-शोध
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्र./संशो./2021/

दिनांक-

बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना क्रमांक/शोसं./2018/273 दिनांक 31.07.2018 द्वारा गठित समिति की बैठक आज दिनांक 03.09.2021 को मध्याह्न 12:30 बजे शोध संचालनालय में आयोजित की गयी। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1.	प्रो. आर.एम.मिश्र विभागाध्यक्ष, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग	-	संयोजक	<i>Dr. A.M. Mishra</i> 03/09/21
2.	प्रो. (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान	-	सदस्य	<i>A. Mishra</i> 31/9/21
3.	प्रो. सुनील तिवारी आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग विभाग	-	सदस्य	<i>S. N. Tiwari</i> 5-9-21
4.	प्रो.आर.एन.सिंह संचालक, संचालनालय शोध	-	सदस्य	<i>R. N. Singh</i> 31/9/21
5.	प्रो. अतुल पाण्डेय विभागाध्यक्ष, व्यावसायिक प्रबन्ध	-	सदस्य	<i>A. Pandey</i>
6.	प्रो. श्रीकान्त मिश्र विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग	-	विशेष आमंत्रित सदस्य	<i>S. K. Mishra</i> 03.09.21

समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया-

1. दर्शनशास्त्र के Allied subject का निर्धारण।

निर्णय:- प्रो० श्रीकान्त मिश्र, विभागाध्यक्ष, दर्शन विभाग के पत्र दिनांक 16.07.2020 पर विचार करते हुए एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में मान्य Allied subjects का अवलोकन किया गया। तदनुसार समिति निम्नलिखित विषयों को दर्शनशास्त्र विषय के अन्तर्गत पीएच.डी. की उपाधि हेतु Allied subject के रूप में मान्य किये जाने की अनुशंसा करती है।

- (1) योग
- (2) संस्कृत

2. सैन्य विज्ञान के अध्ययन मण्डल के गठन के संबंध में विचार करना।

निर्णय:- समिति ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम सैन्य विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस पाठ्यक्रम में भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं मनोविज्ञान विषयों से संबंधित विषय सामग्री समाहित है। अतः उपरोक्त विषयों के विषय विशेषज्ञ को समाहित कर अध्ययन मण्डल के गठन की समिति अनुशंसा करती है।

संयोजक के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Dr. A.M. Mishra
03/09/21
R. N. Singh
31/9/21
S. N. Tiwari
5-9-21
S. K. Mishra
03.09.21

क्र.सं- ज्ञाना पाठेय के आवेदन 20 PA2209050126 पर किया -

कल दिनांक 05/09/2022 को आपराम्ह 3:00 बजे उच्च आधिकार प्राप्त समिति की बैठक में रासा की समझा के दौरान आपके आवेदन में शैक्षणिक योग्यताओं के अन्तर्गत एमएलएल डिग्री के आगे पांचवें कालम में ग्रेड/प्रतिशत अंक में 79.5 प्रतिशत का अंक तथा उसके आधार पर छठवें कालम श्रेणी में प्रथम अंकित पता गया, जो कि पूर्वतया असत्य एवं निराधार है। इस आधार पर श्रेणी में जारी आपके प्रवेश पत्र को निरस्त करते हुए, आपका आवेदन तुरंत निरस्त किया जाता है। क्योंकि आवेदन में घोषणा पत्र के अन्तर्गत हर आवेदक से इस आशय की घोषणा प्राप्त की जाती है कि "मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी सत्य है एवं मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी सत्य है। मैं आवेदन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ, जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मेरी नहीं आपके जारी प्रवेश पत्र के बिना किनांक 9 में भी महत्वपूर्ण तथ से उल्लेखित है।"

05/09/22

05/09/22

05/09/22


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/2021/276

रीवा दिनांक:-23/3/21


अधिसूचना

आदेशानुसार, कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक/प्रशासन/2018/27 रीवा, दिनांक 28.05.2018 के तहत पीएच०-डी० शोध प्रबंधों के लिये Plagiarism Prevention Regulation (PPR) मान्य किया गया था। अतः Urkund के साथ PPR अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर Turnitin/Writecheck/Checker X/Unplag/Copyscape/Viper/Plagpracker /Playprogramme/Plagiarism.net एवं अन्य प्रमाणित उक्त सॉफ्टवेयरों के माध्यम से Plagiarism संबंधी परीक्षण मान्य किया जावेगा।


कुलसचिव 23.3.21
Ce

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. प्राचार्य/समस्त शोध केन्द्र/सम्बद्ध महाविद्यालय, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
3. विभागाध्यक्ष/प्राचार्यगण की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया अपनी संस्था में कार्यरत शोध निर्देशकों को सूचित करने का कष्ट करें।
4. डॉ० पी०के० राय, सिस्टम इंचार्ज कृपया उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय के बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. संचालक, शोध संचालनालय, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
6. प्रो० (श्रीमती) नविता श्रीवास्तव, ई-लाइब्रेरी, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
7. प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
8. विभागाध्यक्ष, अकादमिक/प्रशासन विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
10. संबंधित नस्ती।


सहा० कुलसचिव (अकादमिक)
Ce

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)


क्रमांक / प्रशासन / 2018/27

रीवा दिनांक:- 28-05-2018

अधिसूचना


आदेशानुसार विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.2.2018 के निर्णय के अनुक्रम में एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.2.2018 के पूरक कार्यसूची के आयटम क्रमांक 5 में लिये गये निर्णय अनुसार में पी.एच.डी. शोध प्रबंधों के लिये (PLAGIARISM PREVENTION REGULATION (PPR) मान्य किया गया है।

अतः इस एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- 1 प्राचार्य / समस्त शोध केन्द्र / सम्बद्ध महाविद्यालय अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
 - 2 समस्त विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
 - 3 विभागाध्यक्ष / प्राचार्यगण की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया अपनी संस्था में कार्यरत शाध निर्देशकों को सूचित करने का कष्ट करें।
 - 4 डॉ. पी.के.राय सिस्टम इंचार्ज, कृपया उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 - 5 निदेशक, शोध संचानालय अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
 - 6 डा. श्रीमती नबिता श्रीवास्तव, तकनीकी अधिकारी, ई. लाइब्रेरी, अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
 - 7 पुस्तकालयाध्यक्ष केन्द्रीय पुस्तकालय, अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा (म.प्र.)
 - 8 उपकुलसचिव अकादमिक।
 - 9 सूचना पटल / स्वागत कार्टर।
 - 10 कुलपति जी के सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)
 - 11 प्रशासन / अकादमिक विभाग।
 - 12 कुलसचिव के निज सहायक।
- सलगन - रेग्यूलेशन सलगन।


26/5/18
उपकुलसचिव (प्रशासन)

A.P.S. UNIVERSITY, REWA, 486003, (M.P.)

REGULATION (DRAFT)

1. TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

- (a) TITLE: PLAGIARISM PREVENTION REGULATION (PPR)
- (b) It will be applicable on Ph.D. research scholars.
- (c) The regulation will come into force from the date of its notification by the university.

2. DEFINITION:

Plagiarism is academic theft. Plagiarism is presenting another person's ideas, information, expressions or entire work as one's own. It is a kind of fraud of deceiving others to gain something of value. Plagiarists are seen not only as dishonest but also as incompetent, incapable of doing research and expressing original thoughts. They suffer public embarrassment, diminished prestige and loss of credibility. The offense of plagiarism is serious because it brings into question everything about the researcher's work. Plagiarism undermines the relationship between the supervisor and the research scholar, turning supervisors into detectives instead of mentors, fostering suspicion instead of trust and making it difficult for learning to take place. Research scholars who plagiarize deprive themselves of the knowledge they would have gained if they had done their own work. Plagiarism undermines public trust in the university.

Therefore, the present Regulation "PPR" is being implemented in A.P.S. University.

3. OBJECTIVES:

- i) To create academic awareness about responsible conduct of research, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including data plagiarism and self plagiarism
- ii) To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, promotion of academic integrity and deterrence from plagiarism.
- iii) To develop systems to detect plagiarism and to set up mechanisms to prevent plagiarism and penalize a research scholar for plagiarism.

4. AWARENESS PROGRAMMES AND TRAINING:

The university will conduct sensitization seminars, awareness programmes and training workshops on responsible conduct of research, promotion of academic integrity and ethics in education for students, researchers, faculty, employees and other members of the staff.

5. CURBING PLAGIARISM:

- i) Each research scholar before submission of thesis, will duly check his/her thesis by plagiarism detection software prescribed by the UGC/Turnitin / Write check/ Checker X / Unplag / Copyscape / Viper / Plagpracker/ Play programme / plagiarism.net / any other authenticated software.
- ii) Each research scholar will submit a certificate that his/her thesis is plagiarism free. The certificate will be forwarded by the supervisor/co-supervisor as provided in the Ph.D. ordinance 11.
- iii) The university may update the list of approved software at least every 3 year.
- iv) The university may create an institutional repository on its website which may include all Ph.D. theses.

6. SIMILARITY CHECKS FOR EXCLUSION FROM PLAGIARISM:

The similarity checks for plagiarism will exclude the following:

- i) All quoted work either falling under public domain or reproduced with all necessary permission and / or attribution.
- ii) All references, bibliography table of content, preface and acknowledgements.
- iii) All small similarities of minor nature.
- iv) All generic terms, laws, standard symbols and standard equations.
- v) Mathematical formulae

7. ZERO TOLERANCE POLICY IN CORE AREA:

The core work carried out by the researcher will be based on original ideas and will be covered by zero tolerance policy in core area. In case, plagiarism is established in the core work, then Plagiarism Discipline Authority (PDA) will impose penalty.

5/2/18

Wasi
03/02/18

The core work will include abstract, objectives, summary, hypotheses, observations, findings, results, analysis, conclusions, recommendations, suggestions etc.

8. LEVELS OF PLAGIARISM:

Plagiarism will be qualified into following levels in ascending order of severity for the purpose of imposing penalty:

- i) Similarities upto 20% - excluded
- ii) Level 1: Similarities above 20% to 40%.
- iii) Level 2: Similarities above 40% to 60%
- iv) Level 3: Similarities above 60%.

9. DETECTION AND HANDLING OF PLAGIARISM:

A mandatory certificate will be issued by Chief Librarian Prof. In-Charge, Central Library of the University at the time of submission of the thesis. In case of level 1 similarities and above, the particular thesis will be referred to AMP (Academic Misconduct Panel)

10. ACADEMIC MISCONDUCT PANEL (AMP):

- i) AMP will be constituted by the V.C. for each case on report of excess similarities (Level 1) and above reported by the Chief Librarian / Prof. In-Charge, Central Library.
- ii) The AMP will have the power to assess the level of plagiarism and thus recommend penalty (ies) accordingly.
- iii) The AMP will consist of four members who will be senior academicians with good publication record with at least one member nominated by the VC from outside the university. The Chairperson of the AMP will be an academic functionary (Dean / Pro-VC / Senior Academician of the university. The third member will be a reputed Academician from the discipline in which plagiarism is alleged. The fourth member will be an expert well versed with anti plagiarism tools and software.
- iv) The AMP will follow the principles of natural justice while deciding about the allegation of plagiarism against the researcher.

J. V. 03/02/18

3

War
03/02/18

Atul Pandey 03/02/18

- v) The AMP will send the report after investigation and recommendation on penalties to the PDA within a period of 45 days from the date of reporting by the Chief Librarian / Prof. In-Charge, Library.
- vi) A copy of the report of AMP will be provided to the candidate against whom plagiarism has been reported.

11. PLAGIARISM DISCIPLINARY AUTHORITY (PDA):

- i) PDA will be constituted by the VC to consider the recommendation of the AMP and take appropriate decision after giving a hearing to the accused person.
- ii) There will be three members in the PDA chaired by the VC. The other two members will be nominated by the VC. The other members will be a Dean/Director, Research Directorate and one senior academician not below the rank of Professor in the relevant discipline.

12. PENALTIES:

Penalties in the case of plagiarism will be imposed on the candidate only after academic misconduct on the part of the offender has been established without doubt, and the individual in question has been heard in a fair and transparent manner. All the proceedings of the AMP and the PDA will be held on camera. The penalties will be as follows:

I) LEVEL 1 : SIMILARITIES ABOVE 20% to 40%

The candidate will not be given any mark or credit for the plagiarized thesis and will be asked to submit a revised thesis within 6 months.

II) LEVEL 2 : SIMILARITIES ABOVE 40% to 60%

The candidate will not be given any mark or credit for the plagiarized thesis and will be asked to submit a revised and rewritten thesis after one year but not exceeding 18 months.

III) LEVEL 3 : SIMILARITIES ABOVE 60%

The candidate will not be given any mark or credit for the plagiarized thesis and his or her registration for Ph.D. will be cancelled.

- iv) The supervisor may not be allowed to supervise any Ph.D. scholar for a period of one year by the P.D.A.

J.V.
03-02-18
4

[Signature]
03/02/18